ग्राम पंचायत कनोल, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग-एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम–1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच–एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कनोल, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्रामपंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे।

प्रधानः-

क्रंम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	सुमना देवी	1/4/2015 से 22/1/2016
2	अनिल कुमार	23/01/2016 से 31/3/2018

सचिवः-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	अभिनेस कुमार	1/4/2015 से 30/6/2016
2	सुशील कुमार	1/7/2016 से 31/3/2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत कनोल, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्तसार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातो मेभारी अन्तर	1.12
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.11
3	9	राशि का अनियमित प्रकार से अधिक आहरण	0.05

4.	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	20.14
5	11	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये बिना अनियमित व्यय	11.75
6	12	औपचारिकताओं को पूर्णकिये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.19

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कनोल, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16-04-18 से 20–04–18 तक ग्राम पंचायत कनोल के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं ब्यय के लिये क्रमशः 03/2016,03/2017,03/2018 व 05/2015 ,04/2016 ,12/2017 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाईगई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभागहिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत कनोल विकास खण्ड रैत जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-104 दिनांक-20-04-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कनोल से अनुरोधकिया गया।

4. वित्तीय स्थिति:–

ग्राम पंचायत कनोल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं कीवित्तीय स्थिति निम्नप्रकार थी :-

स्व-स्त्रोतों व अनुदान:–

ग्राम पंचायत कनोल के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 व 2** में भी दिया गया है।

(i) स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	12157	76476	88633	41318	47315
2016--17	47315	115334	162649	73916	88733
2017-18	88733	117649	206382	17185	189197

(ii) अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	672061	3682588	4354649	3281146	1073503
2016-17	1073503	2560579	3634082	1488082	2146000
2017-18	2146000	1888256	4034256	2020007	2014249

कुल योग (1 + 2) = 2203446

दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत कनोल्द्वारा बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रमं संख्या	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	Sabha Nidhi	1998000102121460	PNB DARINI	84231
2	V.K.V.N.Y/MMAGY	1998000102119359	PNB DARINI	127047
3	3rd State FIN.	20040016694	K.C.C.B.RAIT	136704
4	13 & 14 F/C/ZP	1998000102126058	PNB DARINI	1669035
5	I.W.M.P/WDF	1998000102131564	PNB DARINI	30262
6	S.D.P.	1998000102131555	PNB DARINI	11664
7	T.S.C.	1998000102126021	PNB DARINI	27176
8	MPLAD	1998000102126049	PNB DARINI	5273
9	MGNREGA	1998000102110242	PNB DARINI	NIL
10	I.A.Y./AAY	1998000102119368	PNB DARINI	NIL
		हस्तगत राशि		**151**
		कुल योग		**2091543**

वित्तीय स्थिति अनुसार रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तरः–**₹2203446 - ₹2091543= ₹111903**

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1.12 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कनोल द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते)नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाक 31-0381 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹**111903** का अन्तर बैंक पास बुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है ।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे तथा इस अन्तर का अति शीघ्र मिलान किया जाये व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये

6 रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव करनाः–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कनोल में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.11 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्व-स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बंधित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणनुसार दिनांक 31-03-18 तक पंचायत राजस्व ₹10615 की वसूली शेष थीजिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए ।

7.1 गृहकर

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कनोल की गृहकर से सम्बंधित ₹5970 दिनांक 31-03-18 तक शेष थीजिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2015-16	शून्य	523	25/-	13075	13075	13075	शून्य
2	2016-17	शून्य	565	30/-	16950	16950	14930	2020
3	2017-18	2020	565	40/-	22600	24620	18650	5970

7.2 मोबाइल टावर की बकाया राशि

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	टावर संख्या	दर प्रति /वर्ष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2015-16	शून्य	01	2000	2000	2000	2000	शून्य
2	2016-17	शून्य	01	2000	2000	2000	2000	शून्य
3	2017-18	शून्य	01	2000	2000	2000	शून्य	2000

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कनोल द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क नही वसूला जा रहा है । अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत द्वारा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये तथा पंचायत निधि में ज़मा कारवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा लेखापरीक्षा को अनुपालना से अवगत करवाया जाये ।माह 04/2015 से 11-2017 तक पंजीकृत विवाह संख्या एवं कुल राशि जो नहीं वसूली गई को निम्न दर्शाया गया है |

वर्ष	विवाह पंजीकरण रजिस्टर पृ0 स0	पंजीकृत विवाह	वसूली जाने वाली राशि	राशि
2015-16	18-27	40	40@5	200
2016-17	28-29	09	09@5	45
	30-32 (1-7-16@200	12	12@200	2400
			कुल योग	**2645/-**

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नही किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 ₹0.05 लाख का अधिक आहरण करके दुर्विनियोजन की सम्भावना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार बैंक से ₹63670 आहरित की गई जबकि भुगतान केवल ₹58826 का ही दर्शाया गया। शेष ₹4844

का रोकड़ बही या अन्य कहीं भी उल्लेख नहीं पाया गया, जिससे इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्रम संख्या	**दिनांक**	**खाता संख्या/चेक संख्या**	**रो॰प॰सं॰/वाउचर सं॰**	**बैंक से आहरित राशि**	**भुगतान की गई राशि**	**अन्तर**
1.	27-06-15	1998000102119359/998954	002/47	29300	27800	1500
2.	22-10-15	20040016694/217494	37/154	8000	6000	2000
3.	27-06-15	1998000102119359	002/48	26370	25026	1344
			योग	63670	58826	4844/-

अतः इस अनियमितता बारे उचितस्पष्टीकरण प्रस्तुत करे तथा की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बंधित बैंक खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10 **अनुदान ₹20.14 लाख का अवरोधन**

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–18 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से **₹2014249** उपयोग हेतु थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 **निर्माण कार्यों के प्राकलन तैयार किये बिना ही ₹11.75 लाख का अनियमित व्यय करनाः–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता । निर्माण

कार्यों से सम्बंधित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गये निम्न विवरणानुसार विभिन्न कार्यों पर ₹1175000 का व्यय प्राशसनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा बजट प्राक्कलन तैयार किये बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कर्योतर स्वीकृत से नियमित करवाया जाए।

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	अवधि	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.	MMAGY	2015-16	सार्वजानिक शौचालय मनिया व सुभाष चन्द के घर के पास	300000/-
2.	MPLAD	2015-16	निर्माण सरयें लम डल रोड से चक्रोटू तक	175000/-
3.	SDP(LADA)	2015-16	निर्माण शौचालय GSSS कनोल	200000/-
4.	SDP(LADA)	2015-16	निर्माण भूमि समतल GSSS कनोल	200000/-
5.	SDP	2015-16	मुरमत डगा GSSS कनोल	300000/-
			कुल योग	**₹1175000**

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.19 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट**–3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹118535** का स्टॉक औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना किया गया जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग लेखा तैयार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

13 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
2 जल प्रभार रजिस्टर
3 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
4 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
5 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
6 डाक टिकट रजिस्टर
7 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि
8 वर्गीकृत सार तैयार न करना

14 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जिसे बारे में वस्तुस्थिति **स्पष्ट** की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमिततायेंः–

15.1 ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

15.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमनुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं कीजा रही है।

15.3 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अंतर्गत बैठक फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने से

सबंधित अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गयाअतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुएभविष्य में इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाये

16 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्ष:-** लेखों में बहुत सुधार की अतिआवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)204/2018 खण्ड–1–6137–6140 दिनांक–15.9.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत कनोल, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881